दैनिक भास्कर

रविवार, 29 दिसंबर, 2019 | 2

बिना नक्शा के अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण कराने का आरोप

अबु कंस्ट्रक्शन कंपनी पर रेरा ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना

सिटी रिपोर्टर | पटना

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बिना नक्शा के अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण करा रहे अबु कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर बिना नक्शे के सातवें और आठवें तल्ले के निर्माण का आरोप साबित होने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और एसके सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में दो महीने के अंदर जुर्माने की रकम जमा करने को कहा है। बेंच ने अपनी सुनवाई के दौरान पाया कि कंपनी द्वारा अबु फखरुद्दीन प्लाजा का निर्माण कराया जा रहा है।

दलील खारिज : कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए बेसमेंट, ग्राउंड के साथ छह फ्लोर का नक्शा जनवरी, 2004 में ही पास कराया था। लेकिन बाद में नक्शा बिना रीवैलिडेट कराए सातवें और आठवें फ्लोर का निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि, कंपनी के मालिक ने रेरा के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि दोनों फ्लोर का निर्माण व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है। लेकिन सुनवाई के दौरान रेरा ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए नगर निगम से नक्शा रीवैलिडेट कराने के साथ-साथ प्रोजेक्ट का निबंधन रेरा में कराने का आदेश दिया है। आपने आदेश में रेरा ने कहा कि नए फ्लोर का निर्माण सूबे में रेरा के प्रभावी होने की तारीख के बाद कराया जा रहा है, इसलिए इसका रेरा में निबंधन और जमीन मालिक के साथ नया करार कराना जरूरी है।